पत्रांक–9 / सै0–विविध (ऑनलाईन रसीद)–83 / 2023–165 (9A) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–19/01/2026

विषय :– ऑनलाइन भू–लगान रसीद निर्गत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय अधिसूचना सं0–751(9), दिनांक–05.10.2018, पत्रांक–1199 (9), दिनांक–25.04.2024, पत्रांक–1739 (9), दिनांक–04.07.2024, पत्रांक–2278(9), दिनांक–14.08.2024, पत्रांक–2763(9), दिनांक–24.09.2024, पत्रांक–3459(9), दिनांक–31.12.2024 एवं पत्रांक–438(9), दिनांक–10.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। राज्यान्तर्गत सभी अंचलों में भू–लगान का ऑनलाइन भुगतान किये जाने एवं तत्पश्चात् रैयतों/भू–धारियों को ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2. विभागीय पत्रांक–1199(9), दिनांक–25.04.2024 द्वारा ऑफलाइन भू–लगान रसीद निर्गत करने पर पूर्णतः रोक लगाते हुए निदेशित किया गया है कि अंचल स्तर पर संधारित ऑफलाइन भू–लगान रसीद को एकत्र कर जिला मुख्यालय में सुरक्षित स्थान पर संधारित किया जाए एवं एकत्रित किये गये ऑफलाइन भू–लगान की सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाए। विभागीय पत्रांक–2278(9), दिनांक–14.08.2024 द्वारा व्यवहृत/अव्यवहृत ऑफलाइन लगान रसीद जिला स्तर पर अभिलेखागार में दिनांक–30.08.2024 तक निश्चित् रूप से जमा कराये जाने एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गयी। इस संबंध में शेखपुरा, पूर्णियाँ, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा चुका है।

3. तथापि, विभाग को सूचना प्राप्त हुई है कि अभी भी कतिपय जिलों यथा–सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, सहरसा एवं सुपौल में ऑफलाइन माध्यम से लगान रसीद निर्गत की जा रही है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है, जो न केवल विभागीय दिशा–निदेशों का उल्लंघन है बल्कि इसके पीछे आपराधिक षडयंत्र की मंशा भी परिलक्षित होती है।

अतः अनुरोध है कि पूर्व से निर्गत विभागीय निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राप्त/व्यवहृत/अव्यवहृत/अवशेष ऑफलाइन लगान रसीद से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, यह भी प्रतिवेदित किया जाय कि अव्यवहृत लगान रसीद Volumes को कहाँ एवं किसकी अभिरक्षा में रखा गया है। ऑफलाइन भू–लगान रसीद निर्गत करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की जाए।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–9 / सै0–विविध (ऑनलाईन रसीद)–83 / 2023–165 (9A) / रा0 दिनांक 19/01/2026

ई–मेल

प्रतिलिपिः–सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/01/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव।

E:\2026\9A\Letter_2026.docx